रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 750] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 5, 2017/भाद्र 14, 1939
No. 750] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 5, 2017/BHADRA 14, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 1128(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 257(अ) द्वारा तारीख 17 मार्च, 2017 को उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 35 की अपेक्षानुसार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 के नियम 69 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप प्रकाशित किया गया था ;

और, राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, 17 मार्च, 2017 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय संशोधन नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 में नियम 69 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"69. सभी मजदूरी चालू सिक्के या करेंसी नोटों में या चेक द्वारा या कर्मकार के खाते में मजदूरी जमा करके संदत्त की जाएगी :

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थापन या स्थापनों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसका नियोजक ऐसे स्थापन या स्थापनों के वर्ग में नियोजित प्रत्येक कर्मकार को मजदूरी का संदाय, केवल चेक द्वारा करेगा या उसके बैंक खाते में जमा करके, करेगा।"

[फा. सं. एस-16011/12/2016-एलडब्ल्यू(ए)]

राजित पुनहानी, महानिदेशक (श्रम कल्याण) संयुक्त सचिव

टिप्पण : ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 191, तारीख 10 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम रूप से अधिसूचना सं. सा.का.नि. 294(अ), तारीख 28 फरवरी, 2017 में संशोधन किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2017

G.S.R. 1128(E).—Whereas, a draft of certain rules further to amend rule 69 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, was published, as required by section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 257 (E), dated, the 17th March, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the Gazette in which the said notification was published was made available to the public on the 17th March, 2017;

And whereas, no objections and suggestions were received from public on the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government, hereby makes the following rules, further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, for rule 69, the following rule shall be substituted, namely:—

"69. All wages shall be paid in current coin or currency notes or by cheque or by crediting the wages in the bank account of the workman:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify the establishment or class of establishments, the employer of which shall pay to every workman employed in such establishment or class of establishments, the wages only by cheque or by crediting the wages in his bank account."

[F. No. S-16011/12/2016-LW(A)]

RAJIT PUNHANI, Director-General (Labour Welfare) Jt. Secy.

Note : The Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 191, dated the 10th February, 1971 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 294(E), dated the 28th March, 2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.09.06 22:39:49 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.